Additional Condition of Sanction
The owner and his architect shall be responsibilin
inform the concerned Zonal Engineer(Bldg.) at the
following stages of construction
On completion of foundation work.
(ii) Basement before laying of its roof.
(iii) Plinth level of ground and each of the
floors
and on completion to building
plans is liable to be revoked

WARNING
Any deviation against sanctioned plan including reaction of more number of dwelling units than sanctioned/permissible and change of user than sanctioned/permissible is cognizable offence as per D.M.C. (Amended) Act 1981 PUNISHABLE BY SIMPLE IMPRISONMENT WHICH MAY BE EXTENDED TO 06 MONTHS OR WITH FINE WHICH MAY EXTEND TO Rs. 5000/- OR BOTH.

दिनांक 23/02/15

फाइल सं. 05/OL/SP/B/HO/SDMC/2015 Online ID No.(10025490) / दक्षिणी दिल्ली नगर निगम /D/AE(V)/41

सेवा में, (1) Smt. Ruby Chhabra, (2) Sh. Nitin Mohan Chhabra ~~(3) & Sh. Aditya Mohan~~ Chhabra.
~~B-19, Pamposh Enclave,~~
New Delhi.

भू-स्वामी ने निगम भूमि/सड़क पर मलबा सामग्री मलवा रखने के लिए जी-8 के 67233 दिनांक 16/02/2015 द्वारा 2.55 लाख जमा करा लिये हैं और अभिकल्प पर दिखाये गये स्थान पर मलबा सामग्री मलवा रखने की अनुमति है।
सहायक अभियन्ता (भवन) Block No.-B

विषय :–दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 336 के अन्तर्गत स्वीकृति

प्रिय महोदय/महोदया,

Pamposh Enclave, New Delhi. में स्थित, ब्लाक संख्या Block No.-B प्लाट संख्या 19 में भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्द्धन/परिवर्तन/आवेदन–पत्र में उल्लिखित विकास कार्यों को करने के बारे में आपके आवेदन–पत्र दिनांक 09.02.2015 के सन्दर्भ में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि निम्नलिखित शर्तों में किए गए संशोधनों की शर्त पर दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है :–

1. वे नक्शे 22nd दिन February मास 2020 वर्ष तक देय होंगे।
2. निर्माण कार्य स्वीकृति नक्शे के अनुसार ही किया जायेगा तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपविधियों में किसी विचलन की अनुमति नहीं होगी। उपविधियों के विरुद्ध किया गया कोई भी विचलन गिराया जा सकता है तथा पर्यवेक्षण के लिए लगाये गये वास्तुकार का लाइसेंस रद्द किया सकता है।
3. भवन उपविधियों के उल्लंघन पर समझौता नहीं किया जायेगा।
4. भवन के स्वामी तथा नक्शे तैयार करने वाले वास्तुकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत नक्शे लागू भवन उपविधियों के अनुरूप हैं। यदि उपविधियों के किसी उल्लंघन का पता नहीं चलता है तो उसका पता चलने पर नक्शों में परिवर्तन करने का दि. न. नि. को अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में किसी भी दावे की दि. न. नि. द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
5. उपविधियों के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पहले दिल्ली नगर निगम को एक लिखित सूचना दी जाएगी। निर्माण कार्य प्लिंथ लैवल तक पहुँचने पर भी एक ऐसी ही सूचना दिल्ली नगर निगम को दी जायेगी।
6. जब तक अधिकारी द्वारा अधिभोग प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता तब तक पार्टी भवन का अधिभोग नहीं करेगी अथवा अधिभोग करने की अनुमति नहीं देगी अथवा भवन अथवा उसके किसी ऐसे भाग का जिसमें कि निर्माण कार्य किया गया है, प्रयोग नहीं करेगी और न ही उसके प्रयोग की अनुमति देगी।
7. इन भवन नक्शों को दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के परिणामस्वरूप सभी खर्चों/घाटों/दावों, जो दिल्ली नगर निगम करे अथवा करने के लिए उत्तरदायी हो, के लिए न्यायालयों की सभी कार्यवाहियों से तथा अन्य प्राधिकरणों के समक्ष दिल्ली नगर निगम किसी भी प्रकार की हानि अथवा क्षतिपूर्ति से मुक्त रहेगा।
8. दरवाजों और खिड़कियों के कपाट इस प्रकार लगाये जायेंगे कि वे खोले जाने पर किसी गली की ओर निकले हुए न रहें।
9. भवन का निर्माण भारतीय विद्युत नियमावली में निर्दिष्ट स्थल के साथ लगी वोल्टेज लाइनों से न्यूनतम दूरी के अन्दर नहीं किया जायेगा।
10. सैट बैक के नियमों के अनुसार खाली छोड़ी गई भूमि सार्वजनिक गली का भाग होगी।
11. यदि उपरोक्त सहायी शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो स्वीकृति प्रारम्भ से ही अवैध मानी जायेगी।

SANCTION UNDER SIMPLIFIED PROCEDURE

CARRY OUT WORK IN A MANNER THAT NO DISTURBANCE/NUISANCE IS CAUSED TO NEIGHBOURS

ANY DISPUTE ARISING OUT OF ANY DISCREPANCY IN THE OWNERSHIP TITLE OF THIS PROPERTY OR SANCTION ACCORDED TO THE PLANS WILL BE TAKEN AND REVOCATED FOR MISREPRESENTATION UNDER SECTION 345

The owner / builder will display a board with the details mentioned in the performa pasted on the back of the plans. The owner / builder shall accommodate the labourers etc. in neat looking prefabricated structures instead of temp. jhuggies including provision of toilet blocks on his own land. All such type of structures shall be of temp. nature and must be removed immediately / after the const. is completed. The C.C. shall be issued only after all structures are removed from site by the owner / builder. The applicant, while applying for B-1 form (at the stage of construction at plinth level), shall also submit a site plan indicating the location of shelter for labour within the plot and which shall also be ensured by the zonal building deptt. Not providing such details will amount to violation of condition of sanction and shall accordingly be communicated to the applicant through B-2 Form for necessary compliance. The Owner /occupier will not resort to manual scavenging by engaging sanitation workers for cleaning of septic tanks .

भवदीय
23/2/2015
कृते आयुक्त
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

संलग्न :–स्वीकृत नक्शे का एक सैट।